



# HAMIRPUR POLICE



थाना सुमेरपुर/कोतवाली सदर

दिनांक 17.03.2023

## 02 अभियुक्तों के विरुद्ध जिलाबदर की

### कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर/सुमेरपुर के 02 गुण्डा अपराधियों को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निम्न अपराधी अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी दे।

### जिला बदर किए गए अपराधियों का विवरण:-

- 1) गुड्डू खां उर्फ शमशेर खां पुत्र बाबू खां उर्फ बाबूलाल निवासी ग्राम इंगोहटा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दिनांक 02.03.2023 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 2) गोपी उर्फ शुभम दीक्षित पुत्र सुरेश कुमार निवासी मु0 मझखोर रमेडी थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को दिनांक 23.02.2023 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।